न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० बांसगांव, गोरखपुर

UPGK120043902025

वाद सं०-734/2011

प्रकीर्णवाद संख्या-239/2025

राजेश राय बनाम अशोक राय वगै०

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 14.03.2026:-

पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

1- सायलान/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 4 ग अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि मुकदमा की पैरवी सायल नं० 5 गिरिजा राय के द्वारा होती थी। सायल नं० 5 गिरिजा राय बीमारी से पीड़ित होने के कारण दिनांक 18.09.2025 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका इसलिए मुकदमा पक्षकार के अनुपस्थिति में खारिज हो गया। प्रार्थी जानबूझकर मुकदमा खारिज नहीं कराये है, जिसके खारिज होने से शख्त हकतल्फी है तथा अपूर्णनीय क्षति है। अतः प्रार्थना है कि खारिजी आदेश दिनांक 18.09.2025 को रिकॉल व निरस्त करके मुकदमा मूल नंबर पर कायम करके गुण-दोष के आधार पर निर्णीत करने की कृपा प्रदान किया जावे।

2- विपक्षीगण अनुपस्थित। उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

3- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि खारिजी आदेश दिनांकित 18.09.2025 को रिकॉल व निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है व अन्दर मियाद है। खारिजा आदेश दिनांक 18.09.2025 के अवलोकन से यह विदित होता है कि उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धात है कि किसी भी प्रकरण का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष के आधार पर किया जाये। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद सख्या-734/2011, जंगबहादुर राय बनाम अशोक में पारित आदेश दिनांकित 734/2011 को रिकॉल व निरस्त किये जाने योग्य है तथा वाद को अपने मूल नम्बर पर कायम कर प्रार्थना पत्र 4 ग पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

5- प्रार्थना पत्र 4 ग पर स्वीकार किया जाता है। खारिजी आदेश दिनांकित 18.09.2025 को रिकॉल व निरस्त किया जाता है। उक्त पत्रावली अपने मूल नम्बर 734/2011, जंगबहादुर राय बनाम अशोक पर कायम की जाती है। मूलवाद पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक-30.05.2026 को पेश हो।

(रमेश सिंह)

अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०

बांसगांव, गोरखपुर।